

29/07/25 प्राक्ती पेश हुई। पार्थी वकील अनुपस्थित।  
पार्थी स्वयं अनुपस्थित। चूंकि मूल वाद को अदम  
द्वारा। अदम चैरती में खर्च किया जा चुका  
है तो इस आवेदन को अगे चलाने का कोई  
अर्थचिन्ता नहीं है। अतः इस आवेदन की  
कार्रवाई इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।  
प्राक्ती चैरल गुमार होकर दायित्व खतर हो।  
मूलवाद के संलग्न हो।

